



2026:AHC:169744

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 22128/2026

मजदा परवीन एवं एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : कमलेन्द्र सिंह, कुँवर कुलदीप सिंह, प्रेम बहादुर सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।
2. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्तागण ने प्रतिवादीगण को उनके शान्तिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति के रिट की प्रार्थना की है और सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश की भी माँग की है।
3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि दोनों याचिकाकर्तागण वयस्क हैं। वे अविवाहित हैं और सहजीवन में रह रहे हैं। आगे यह कहा गया है कि निजी प्रतिवादी और परिवार के अन्य सदस्य अप्रसन्न हो गए हैं और उनके जीवन को गंभीर खतरा है क्योंकि उन्हें धमकाया और परेशान किया जा रहा है। अतः, याचिकाकर्तागण ने पुलिस प्राधिकरण को निजी प्रतिवादीगण से उनके जीवन की सुरक्षा करने का निर्देश जारी करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह रिट याचिका योजित की है।
4. वर्तमान याचिका में विद्यमान विषय पर पहले ही रिट-सी संख्या 35171 वर्ष 2025 (आकांक्षा एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं तीन अन्य), निर्णीत दिनांक 17.12.2025

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में विचार किया जा चुका है। वर्तमान प्रकरण के तथ्य **आकांक्षा (उपरोक्त)** के तथ्यों के समान हैं। इसलिए वर्तमान रिट याचिका को निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत निस्तारित किया जा रहा है।

5. एक बार जब कोई व्यक्ति, जो वयस्क है, उसने अपना साथी चुन लिया है, तो किसी अन्य व्यक्ति के लिए, चाहे वह परिवार का सदस्य ही क्यों न हो, आपत्ति करने और उनके शान्तिपूर्ण अस्तित्व में बाधा उत्पन्न करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना, राज्य पर डाले गए संवैधानिक दायित्वों के अनुसार, उसका परम कर्तव्य है। मानव जीवन के अधिकार को बहुत उच्च धरातल पर माना जाना चाहिए, चाहे कोई नागरिक अवयस्क हो या वयस्क, विवाहित हो या अविवाहित। केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्तागण ने विवाह संपन्न नहीं किया है, उन्हें भारत के नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान में परिकल्पित उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं करेगा। इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संवैधानिक मौलिक अधिकार बहुत उच्च धरातल पर स्थित है। संवैधानिक योजना के अंतर्गत पवित्र होने के कारण, इसकी रक्षा की जानी चाहिए, चाहे विवाह संपन्न हुआ हो या पक्षकारों के बीच किसी विवाह का अभाव ही क्यों न हो।

6. यहाँ याचिकाकर्तागण, जो वयस्क हैं, उन्होंने विवाह की पवित्रता के बिना एक साथ रहने का निर्णय लिया है और न्यायालयों का कार्य उनके निर्णय पर उनका न्याय करना नहीं है। यदि यहाँ याचिकाकर्तागण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, तो इस न्यायालय को ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि सुरक्षा प्रदान करने की उनकी प्रार्थना को क्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

7. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि याचिकाकर्तागण शान्तिपूर्वक एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी व्यक्ति को उनके शान्तिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चूंकि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुनिश्चित एक मौलिक जीवन है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. यदि याचिकाकर्तागण के शान्तिपूर्ण जीवन में कोई व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, तो याचिकाकर्तागण इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संबंधित पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से संपर्क करेंगे और पुलिस अधिकारी इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात कि याचिकाकर्तागण वयस्क हैं और स्वेच्छा से एक साथ रह रहे हैं, याचिकाकर्तागण को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे। यदि याचिकाकर्तागण शिक्षित हैं और वे अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र तथा कानून के अंतर्गत स्वीकार्य अन्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो कि उन्होंने वयस्कता प्राप्त कर ली है और वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से रह रहे हैं, तो कोई भी पुलिस अधिकारी उनके विरुद्ध कोई उत्पीड़क विधिक कार्यवाही नहीं करेगा जब तक कि उनके विरुद्ध किसी भी अपराध के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न हो जाए। यदि उनके पास आयु के संबंध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है और वे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और या निरक्षर/अर्ध-शिक्षित हैं, तो पुलिस अधिकारी उनकी सही आयु सत्यापित करने के लिए ऐसे बालक एवं बालिका का अस्थि-भवन परीक्षण (ऑसिफिकेशन टेस्ट) करा सकता है और वह विधि के अंतर्गत अनुमत अन्य प्रक्रिया का भी पालन कर सकता है।

9. उपर्युक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, वर्तमान याचिका तदनुसार निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

12 अगस्त, 2026

एस० अली

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।